

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक प.2(2) सामान्य / न्याय / 2023

दिनांक:


अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
महानिदेशक, एच.सी.एम.(रीपा), जयपुर।

विषय:- लाईट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज राजस्थान उच्च न्यायालय के अवमानना प्रकरणों के संबंध में प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत।

न्याय विभाग के लाईट्स सॉफ्टवेयर में उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर के ऐसे अवमानना प्रकरण जिनकी केस रजिस्ट्रेशन की एन्ट्री अवमानना प्रकरण के रूप में नहीं की गई है। इस क्रम में जयपुर एवं जोधपुर पीठ से संबंधित अवमानना प्रकरणों की उक्त एन्ट्री का कार्यपूर्ण करवा कर एक प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न) प्रशासनिक विभाग के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जाना है। इसके अतिरिक्त OIC FORM की सभी प्रविष्टियां तथा केस का प्रकार CCP/WCP/CMCP/राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर वर्णित Contempt कैटेगिरी के अनुसार दर्ज किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य पूर्ण करवाकर यह प्रमाण पत्र 30.10.2023 को मध्याह्न पूर्व तक भिजवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


27/10/2023
अतिरिक्त निदेशक

प्रमाण-पत्र

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर व जोधपुर पीठ के अक्टूबर 2023 तक के संबंधित समस्त अवमानना प्रकरणों (प्रशासनिक व अधीनस्थ विभागों सहित) एवं OIC FORM की सभी प्रविष्टियां तथा केस का प्रकार CCP/WCP/CMCP/राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर वर्णित Contempt कैटेगिरी के अनुसार इन्द्राज लाईट्स सॉफ्टवेयर पर सम्यक रूप से कर दिया गया है।

हस्ताक्षर

राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी

नाम :-


27/11/2023